# मध्यप्रदेश शासन
# लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
## मंत्रालय

## :: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 16 / 6 /2017

क्रमांक एफ 12-06/2017/सत्रह/मेडि-3 :: चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव क्रमांक एफ 4-18/2017/55-2 दिनांक 30.05.2017 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार कॉलम क्रमांक 2 में अंकित जिला चिकित्सालयों को चिकित्सकीय, शिक्षण एवं शिक्षण के सुसंगत कार्यों हेतु कॉलम 03 में अंकित नवीन महाविद्यालयों से संलग्न शर्तों के अधीन सम्बद्ध किया जाता है -

| क्रमांक | जिला में स्थापित जिला चिकित्सालय का नाम | नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | जिला चिकित्सालय रतलाम | चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम |
| 2 | जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा | चिकित्सा महाविद्यालय छिंदवाड़ा |
| 3 | जिला चिकित्सालय शिवपुरी | चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी |
| 4 | जिला चिकित्सालय विदिशा | चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा |
| 5 | जिला चिकित्सालय शहडोल | चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल |
| 6 | जिला चिकित्सालय खण्डवा | चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा |
| 7 | जिला चिकित्सालय दतिया | चिकित्सा महाविद्यालय दतिया |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

16/6/17
(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 12-06/2017/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 16 / 6 /2017

प्रतिलिपि :

1. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली - 110011, की ओर उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक U12012/46/2012-MEP-II, दिनांक 21.02.2014 के संदर्भ में ।

अविरत..2



Scanned by CamScanner

2. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेस-1, नई दिल्ली-110077.
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश ।
4. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. ।
5. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. ।
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल ।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल ।
8. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
9. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की टीप क्रमांक डी एन-1564/स्था/यो.चि./17, दिनांक 06.05.2017 के संदर्भ में ।
10. संचालक, प्रोजेक्ट चिकित्सा शिक्षा म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
11. संचालक, स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. भोपाल ।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश एवं अध्यक्ष स्वशासी समिति चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम-उज्जैन संभाग, छिंदवाड़ा-जबलपुर संभाग, शिवपुरी-ग्वालियर संभाग, विदिशा-भोपाल संभाग, शहडोल-रीवा संभाग, खण्डवा-इंदौर संभाग, दतिया-ग्वालियर संभाग म.प्र. ।
13. कलेक्टर, जिला रतलाम, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, विदिशा, शहडोल, खण्डवा, दतिया म.प्र. ।
14. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, विदिशा, शहडोल, खण्डवा, दतिया, म.प्र. ।
15. अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, विदिशा, शहडोल, खण्डवा, दतिया, म.प्र. ।
16. संचालक, अस्पताल प्रशासन/प्रशिक्षण, स्थानीय कार्यालय, म.प्र.भोपाल ।
17. अपर संचालक, प्रशासन/वित्त, स्थानीय कार्यालय, म.प्र. भोपाल ।
18. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रतलाम, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, विदिशा, शहडोल, खण्डवा, दतिया, म.प्र. ।
19. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतलाम, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, विदिशा, शहडोल, खण्डवा, दतिया, म.प्र. ।
20. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला रतलाम, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, विदिशा, शहडोल, खण्डवा, दतिया, म.प्र. ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

21. गार्ड फाईल

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

C:\Users\ABC\Desktop\Section 3 2017\order\18

25-Jan-17

Scanned by CamScanner

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ०क्रमांक2/47/ यो०वि०/2/2017 भोपाल,दिनांक 17/ 06/2017

प्रतिलिपिः-- सूचनार्थ एवं आवश्यक--कार्यवाही हेतु ।

1-- संचालक,प्रोजेक्ट चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 भोपाल ।
2-- संचालक,स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 भोपाल।
3-- समस्त संभागीय आयुक्त ,म0प्र0 एवं अध्यक्ष स्वशासी समिति चिकित्सा महाविधालय रतलाम --उज्जैन संभाग, छिंदवाड़ा--जबलपुर संभाग, शिवपुरी,ग्वालियर संभाग,विदिशा भोपाल संभाग,शहडोल--रीवा संभाग खण्डवा--इन्दौर संभाग दतिया--ग्वालियर संभाग म0प्र0।
4-- कलेक्टर,जिला रतलाम,छिंदवाड़ा,शिवपुरी,विदिशा,शहडोल ,खण्डवा,दतिया म0प्र0।
5-- अधिष्ठाता,चिकित्सा महाविधलय जिला रतलाम,छिंदवाड़ा,शिवपुरी,विदिशा,शहडोल, खण्डवा,दतिया म0प्र0।
6-- अधिक्षक, चिकित्सा महाविधालय जिला रतलाम,छिंदवाड़ा,शिवपुरी,विदिशा,शहडोल , खण्डवा,दतिया म0प्र0
7-- संचालक,अस्पताल प्रशासन /प्रशिक्षण स्थानीय कार्यालय म0प्र0 भोपाल।
8-- अपर संचालक प्रशासन/वित्त स्थानीय कार्यालय।म0प्र0 भोपाल।
9-- संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें रतलाम,छिंदवाडा,शिवपुरी,विदिशा, शहडोल ,खण्डवा,दतिया म0प्र0।
10-- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम,छिंदवाड़ा,शिवपुरी,विदिशा,शहडोल , खण्डवा,दतिया म0प्र0।
11-- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला रतलाम,छिंदवाड़ा,शिवपुरी,विदिशा,शहडोल ,खण्डवा,दतिया म0प्र0।
12 शाखा प्रभारी स्थापना राजपत्रित/अराजपत्रित/नर्सिंग/प्रवेश शाखा स्थानीय कार्यालय ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner

## जिला चिकित्सालयों को चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ चिकित्सकीय, शिक्षण एवं शिक्षण के ,सुसंगत कार्यों हेतु शर्तें

1. स्वास्थ्य विभाग के जिला चिकित्सालय को चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सा महाविद्यालय के साथ साथ चिकित्सकीय, शिक्षण एवं शिक्षण के सुसंगत कार्यों हेतु सम्बद्ध किया जाता है। चिकित्सा महाविद्यालय के विभागाध्यक्षों एवं प्राध्यापकों एवं चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों को इस चिकित्सालय में साथ चिकित्सकीय, शिक्षण एवं शिक्षण के सुसंगत कार्यों हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

2. जिला अस्पताल में सेवायें प्रदायगी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सप्लाईस पर सिविल सर्जन सह प्रभारी संयुक्त संचालक, सह अधीक्षक, संबद्ध चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज का प्रशासकीय नियंत्रण रहेगा।

3. प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेसिडेन्ट एवं जूनियर रेसिडेन्स का प्रशासकीय नियंत्रण डीन मेडिकल कॉलेज का रहेगा।

4. स्वास्थ्य विभाग के प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों को, द्वितीय श्रेणी (नॉनमेडिकल) अधिकारियों, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर सिविल सर्जन सह प्रभारी संयुक्त संचालक, सह अधीक्षक, संबद्ध चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज का प्रशासकीय नियंत्रण रहेगा।

5. स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत विषयवार (मेडिसिन, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पिडियाट्रिक, ओप्थेलमालॉजी, आदि) प्रथम श्रेणी चिकित्सा अधिकारी, संख्या के आधार पर यूनिट संचालित करेंगे। मेडिकल ऑफिसर/पी.जी.एम.ओ. इनकी यूनिट में कार्य करेंगे।

6. मेडिकल कॉलेज के विषयवार प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सिनियर रेसिडेन्ट एवं जूनियर रेसिडेन्ट एक यूनिट के रूप मे कार्य करेंगे। विषयवार न्यूनतम 2 यूनिट्स गठित किये जाये। आवश्यकतानुसार सहप्राध्यापक के अधीन भी यूनिट गठित की जा सकती है।

7. प्रत्येक विभाग की ओ.पी.डी एवं ओ.टी दिवस का आवंटन यूनिटवार किया जायेगा। जिस यूनिट का ओ.पी.डी दिवस होगा उसी यूनिट का स्टाफ इमरजेन्सी ऑनकॉल ड्यूटी भी करेगा।

8. ओ.पी.डी मे यूनिटवार बैठने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सह अधीक्षक, संबद्ध चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज का होगा।

9. सांयकालीन ओ.पी.डी का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विशेषज्ञों/ चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पूर्वानुसार संचालित की जायेगी।

6/6/17
(गिरीश कुमार तिवारी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Scanned by CamScanner

10. रविवार व शासकीय अवकाश में प्रत्येक विभाग की यूनिटवार (चिकित्सा शिक्षा/स्वास्थ्य विभाग) रोटेशन से ड्यूटी की जायेगी।

11. आकस्मिक चिकित्सा ड्यूटी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मेडिकल ऑफिसर/चिकित्सा शिक्षा विभाग के आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी/जूनियर रेसिडेन्ट द्वारा की जायेगी।

12. विषयवार चिकित्सालय में उपलब्ध शैय्याओं को यूनिट के अनुपात में बराबर-बराबर संख्या में बांटा जायेगा।

13. किसी भी समय एक यूनिट के खाली बिस्तरों का उपयोग आवश्यकता अनुसार अन्य यूनिट द्वारा किया जा सकेगा।

14. अन्य विशेषज्ञताओं जैसे डर्मेटालॉजी, सायकेट्री, डेन्टिस्ट्री, आदि जिनके विशेषज्ञ मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं, की ओ.पी.डी. संचालित करने का उत्तरदायित्व मेडिकल कॉलेज के स्टॉफ का रहेगा।

15. चिकित्सालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व कार्यक्रमों की गाईडलाईन एवं निर्देशानुसार सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सह अधीक्षक मेडिकल कॉलेज का होगा। इसमें डीन मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

16. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार पूर्वानुसार गठित ज़िला मेडिकल बोर्ड द्वारा संपादित किया जायेगा।

17. चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थापना व केडर मेनेजमेन्ट संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

18. जिला चिकित्सालय के संचालन में आवश्यक उपकरण, सामग्री हेतु पूर्वानुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बजट से व्यवस्था रहेगी। चिकित्सा महाविद्यालय लिये यदि कोई विशेष उपकरण/फर्नीचर आदि की आवश्यकता है तो उसकी वित्तीय व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय के आरंभ होने पर ऐसे उपकरण जिला चिकित्सालय से मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में स्थानांतरित किये जा सकेंगे।

19. दोनों विभाग के अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, उपकरण, फर्नीचर, औषधियां आदि का प्रावधान संबंधित विभाग के बजट में किया जायेगा।

16/6/17
(गिरीश कुमार लेवी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Scanned by CamScanner